जाम | वाहनों की लगी लंबी कतार, राहगीर हुए बेहाल, पुलिस रही गायब

बल्देवबाग में लगा लंबा जाम, एम्बुलेंस भी फंसी

जबलपुर। शहर के व्यस्ततम इलाकों में शुमार बल्देवबाग चौराहे में शनिवार रात्रि लंबा जाम लग गया। जाम इतना भीषण रहा कि वाहनों के पहिए पूरी तरह थम गए। इस दौरान न केवल आम राहगीर परेशान हुए, बल्कि एक एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही और निकलने की जद्दोजहद करती रही। इस बीच चौराहे पर अ न्य गाड़ियों की भी लंबी कतारें लगी। इस दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए एक भी ट्रैफिक पुलिस का जवान तैनात नहीं था। जिसका फायदा उठाते हुए वाहन चालक हर तरफ से घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे जाम और पेचीदा हो गया था। राहगीरों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे राहगीर पसीने से तर-बतर नजर आए। हालांकि बाद में सूचना पर पुलिस पहुंची इसके बाद काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया जिसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली।

सायरन बजाती रही एम्बुलेंस

जाम के दौरान सबसे दर्दनाक मंजर तब देखने को मिला जब एक एम्बुलेंस बीच ट्रैफिक में फंस गई। एम्बुलेंस का सायरन लगातार बजता रहा, लेकिन जगह न होने के कारण वह टस से मस नहीं हो पा रही थी। हालांकि बाद में कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता बनवाकर एम्बुलेंस को आगे रवाना किया गया ।

घंटों रेंगते रहे वाहन

इस लंबे जाम में कार, बाइक और ऑटो समेत वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। चौराहे पर पुलिस की अनुपस्थिति के कारण वाहन चालक बेतरतीब तरीके से गाड़ियां फंसाते गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई थी। घंटों वाहन रंगते रहे।

सिग्नल नहीं, हर दिन जाम

बल्देवबाग चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते यातायात सिग्नल निकाले गए थे। जिन्हें अब तक नहीं लगाया गया है । जिसके कारण रोजाना ही ट्रैफिक जाम की समस्या चौराहे पर बनी रहती है और रहागीरों क्को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है ।

सालों से जमे अवैध अतिक्रमणों पर चली कैंट बोर्ड की जेसीबी

- कब्जाधारियों के विरोध के बावजूद हटाए गए अवैध कब्जे
- सदर बाजार, मोदीवाड़ा में कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। कैंट बोर्ड के राजस्व विभाग ने वर्षों से क्लास सी लैंड में जमे अतिक्रमणों और सदर बाजार रामलीला मार्केट के पास जमे अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज किया गया। कैंट बोर्ड प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को क्लास सी लैंड के अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही सदर रामलीला मैदान से शुरू की गई। इस दौरान कब्जाधारियों ने कार्रवाई को रोकने का भरसक प्रयास किया लेकिन कैंट बोर्ड के अधिकारियों के सख्त रवैये के कारण उनका प्रयास विफल रहा। अंत में कैंट बोर्ड के कर्मचारियों ने बिना किसी दबाव में आकर अवैध कब्जे को धराशायी कर दिया। इसके बाद अतिक्रमण दस्ता दल-बल सहित मोदीबाडा में अवैध अतिक्रमण को हटानें के लिए पहुंचा। अतिक्रमण दस्ते के यहां पहुंचनें से पहले ही अतिक्रमण कारी द्वारा अपना सामान हटाया जाने लगा था।

सख्ती के सामने नतमस्तक अतिक्रमणकारी

दस्ते के पहुंचने पर अतिक्रमणकारी अभय नायडू ने मौके पर मौजूद कैंट बोड सीईओ राजीव कुमार से अनुमति मांगी कि वे उन्हें कुछ घंटे की मोहलत दें जिससे वो अपना सामान सुरक्षित निकालकर जमीन खाली कर सकें। सीईओ द्वारा अनुमति मिलने के बाद आनन फानन में कब्जा खाली कराया गया और फिर राजस्व विभाग द्वारा परिसर पर कब्जा करते हुए वहां तालाबंदी की गई और कब्जा अपने पक्ष में लिया गया। इस दौरान सीईओ राजीव कुमार ने यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जहां पर भी कैंट बोर्ड की जमीनों पर इस तरह के अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं वे सभी खाली करवाए जाएंगे। कैंट बोर्ड सीईओ राजीव कुमार ने नवभारत को बताया कि अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही लगातार करने और अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए जल्द ही एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा। शनिवार को कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग से अतिक्रमण प्रभारी अशीष वर्मा, जाहिद अंसारी हरवेश सिंह, खेमराज मीणा आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।

अभय गुप्ता होंगे रेल मंडल के नए एडीआरएम

जबलपुर, नवभारत। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) के पद पर अभय कुमार गुप्ता की नियुक्ति के आदेश जारी किए है। श्री गुप्ता, एडीआरएम आनंद कुमार का स्थान लेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश में ईस्टर्न रेलवे में पदस्थ आईआरएसईई अधिकारी अभय कुमार गुप्ता के जबलपुर रेल मंडल में एडीआरएम के पद पर नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए कहा है कि अभी तक जबलपुर में एडीआरएम पदस्थ रहे आईआरटीएस अधिकारी आनंद कुमार की जगह लेंगे। वही चर्चा है कि आनंद कुमार डेपुटेशन पर जा रहे हैं।

दस्तावेजों की कमी पर 8 स्कूल बसें जब्त, आरटीओ की कार्रवाई, 70 से अधिक वाहनों की जांच

नवभारत, जबलपुर। परिवहन विभाग द्वारा जबलपुर में स्कूल बसों और यात्री वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा के नेतृत्व में संभागीय परिवहन सुरक्षा उड़नदस्ता टीम द्वारा की गई। प्रभारी राजेंद्र साहू के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान 8 स्कूल बसों को आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में जब्त किया गया। इन बसों को संबंधित स्कूल प्रबंधन के सुपुर्द करते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान लगभग 70 से 80 स्कूल और यात्री बसों की गहन जांच की गई। इस दौरान सुरक्षा मानकों, फिटनेस और दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की गई। प्रभारी राजेंद्र साहू ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बिना पंजीयन चल रही बसों पर रोक

जांच के दौरान 3 बसें बिना पंजीयन के संचालित पाई गईं। इन बसों को तत्काल प्रभाव से संचालन बंद करने और विधिवत पंजीयन कराने के सख्त निर्देश दिए गए।

15 वर्ष पुरानी 2 बसें जब्त

15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी 2 बसों को दीनदयाल बस स्टैंड में जब्त कर उनके संचालन पर रोक लगा दी गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि ओवरएज वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। कार्यवाही के दौरान परिवहन आरक्षक इम्तियाज हुसैन, आशुतोष मोघे, उमाशंकर उपाध्याय, अशोक खार्पडे, वंदना परतेती सहित विभागीय स्टाफ सक्रिय रूप से मौजूद रहा।

4 दिन बाद भी नहीं शुरू हुई गेहूं खरीदी

घोषित तिथि के बाद भी केंद्रों पर तैयारी अधूरी, सुविधाओं के अभाव से लौट रहे किसान

नवभारत, जबलपुर। शासन के निर्देशानुसार 15 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होना था, लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी जिले में खरीदी कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इससे किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा 47 खरीदी केंद्रों की सूची जारी की गई थी, लेकिन अधिकांश केंद्रों पर न तो साफ-सफाई है और न ही आवश्यक व्यवस्थाएं। पाटन तहसील के गैररेहा स्थित शकुन गोदाम का हाल बेहद खराब पाया गया, जहां न कर्मचारी मौजूद थे, न बारदाना और न ही कोई प्रशासनिक व्यवस्था।

किसानों को हो रही परेशानी

खरीदी केंद्रों पर सुविधाओं के अभाव के कारण किसान अपनी उपज लेकर लौटने को मजबूर हैं। वहीं कई किसानों के पंजीयन के बावजूद पोर्टल पर रकवा असत्यापित दिखाया जा रहा है, जिससे स्लॉट बुकिंग भी नहीं हो पा रही है।

संगठन ने उठाई आवाज

भारत कृषक समाज के प्रांतीय अध्यक्ष इंजी. के. के. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ईमेल के माध्यम से स्थिति से अवगत कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की भी मांग की। किसान संगठनों ने मांग की है कि खरीदी केंद्रों का तत्काल निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि कृषि कल्याण वर्ष का उद्देश्य पूरा हो सके।

दफ्तरों के गलियारे

अब बंद होगा दही पराठा

सूबे की सबसे बड़ी अदालत के परिसर में इन दिनों महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। नाक की लड़ाई बना बैठे कोर्ट के पदाधिकारी अब किसी भी हालात में समझौता करने के पक्ष में नहीं है। हुआ कुछ यूं की बड़ी शिद्दत से लाखों रुपए की फीस भरने के बाद एसबीसी के पदों पर चुनाव लड़ने के लिए कूदे वकील साहबों का नामांकन निरस्त हो गया। जिससे बौखलाकर उन्होंने वर्तमान में बैठे पदाधिकारी को खरी खोटी सुना डाली, मन का मलाल तब सामने आया जब वरिष्ठ वकील साहब वर्तमान में पद पर बैठे सीनियर अधिवक्ता को यह तक बोल गए कि अब बहुत जल्द आपका दही पराठा बंद होने वाला है ! जिसे सुन अन्य जूनियर काले कोटधारी मंद - मंद मुस्कुराने लगे और धीरे से बोल बैठे कि क्या इस पद पर आसीन पदाधिकारी रोज दही पराठे का सेवन करते होंगे.. ?

खुद की जान की बाजी लगाने वालों की तो सुन लेते....

साहब हम लोग तो सभी की जान बचाने दिन रात मेहनत करके अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं लेकिन जब समस्या हमारी होती है तो कोई निगम में नहीं सुनता। ये पीड़ा लाल बिल्डिंग के गलियारों में फायर ब्रिगेड के करीब 11 कर्मियों के मुंह से उस वक्त निकली जब लाल बिल्डिंग के बड़े साहब किसी मीटिंग में जाने का कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए और पीड़ित कर्मचारी ज्ञापन लिए खड़े रहे। पूरा मामला नगर निगम के मुख्यालय का था जहां फायर ब्रिगेड के 11 कर्मचारियों को स्थापना विभाग द्वारा नियमितीकरण के नाम पर इधर से उधर भटकाया जाने लगा और फिर जो दर्द कर्मियों ने बयां किया वो सभी के सामने था।

कड़क आवाज से डोल गई टीआई साहब की कुर्सी

टीआई साहब के मोबाइल ने ऐसा गच्चा दिया कि बड़े साहब का नंबर ही डिलीट हो गया। थाने में जब वे अपनी धुन में कुर्सी पर रौब के साथ बैठे थे तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। फोन घनघनाया। मोबाइल की दगाबाजी से अज्ञात नंबर दिखा। उन्होंने फोन उठाया और ताव में बोले हेलो ! कौन बोल रहा है ? मैं फलां थाने का टीआई बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से कुछ पल सन्नाटा रहा, इसके बाद कडक़ आवाज आई मैं एएसपी बोल रहा हूं ! जिसे सुन टीआई साहब की कुर्सी डोल गई, माथे पर पसीना आ गया, तुरंत भीगी बिल्ली बन गए। पल भर में अरे सर ! जय हिंद सर ! माफ़ी चाहता हूं, कहने लगे। एएसपी साहब ने भी आव देखा न ताव, वहीं से जमकर क्लास ले ली। टीआई साहब मन ही मन मोबाइल को कोस रहे थे। बाद में सारा माजरा बताया तो पुलिसिया गलियारे में ठहाके लगे। कुछ ने चुटकी ली कि साहब, अब तो नंबर मोबाइल के साथ-साथ डायरी में भी लिख लीजिएगा, वरना ये भूल दोबारा महंगी पड़ सकती है !

धनंजय श्रीवास्तव, विवेक दुबे, अजहर खान

15 साल की बालिका बनने वाली थी दुल्हन

फेरे होने के पहले पहुंची टीम, टला बाल विवाह

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत जुनवानी कंचनपुर टोला में 15 साल की बालिका दुल्हन बनने वाली थी। 20 अप्रैल बालिका का विवाह कराया जा रहा था। जैसे ही जिसकी भनक लगते महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिया। परिवार ने अब 18 साल के बाद शादी का आश्वासन दिया है।

सेक्टर पर्यवेक्षक नीरजा वर्मा को सूचना मिली थी कि ग्राम जुनवानी की बालिका का बाल विवाह कराया जा रहा है। शनिवार को जाँच दल गाँव पहुँचा। जाँच में पाया गया कि बालिका के आधार कार्ड में जन्म तिथि 01 जनवरी 2012 और जन्म प्रमाण पत्र में 29 जनवरी 2011 दर्ज है। इस हिसाब से बालिका की उम्र लगभग 15 वर्ष है। जाँच दल ने बालिका की मां, बड़ी माँ एवं दादी को समझाइश दी। परिवार को बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने पर 2 वर्ष तक की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई होगी। विवाह में शामिल होने वाले पंडित, नाई और बैंड वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। समझाइश के बाद बालिका की माता, बड़ी मां एवं दादी ने आश्वासन दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही करेंगे। लड़के के पिता का देहांत हो चुका है, इसलिये उसके मामा से बात की गई। लड़के के मामा ने भी बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही विवाह करने की बात कही। बालिका वर्तमान में 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। अधिकारियों ने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57